भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1131
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा में डिजिटल न्याय और कानूनी सेवाओं का विस्तार

†1131. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, टेली-लॉ कार्यक्रम, नालसा और ग्राम न्यायालय योजना के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि कितनी है ;

(ग) कंधमाल, बौद्ध, नयागढ़ और गंजाम सहित जिला-वार ई-कोर्ट्स, वर्चुअल कोर्ट, टेली-लॉ लाभार्थियों, विधिक सहायता क्लीनिकों, एडीआर/मध्यस्थता केंद्रों और ग्राम न्यायालयों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का इन जनजातीय और आकांक्षी जिलों में अतिरिक्त न्यायिक अवसंरचना, वर्चुअल कोर्ट, डिजिटल विधिक साक्षरता कार्यक्रमों और विधिक सहायता सुविधाएं देने का विचार है और यदि हां, तो जिला-वार अनुमानित व्यय और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य के चरणों में इन जिलों को कब तक कवर किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, टेली-लॉ कार्यक्रम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) और ग्राम न्यायालय योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान, ओडिशा

राज्य सहित पूरे देश में बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय का विवरण **उपाबंध-1** में है।

(ख) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना तृतीय चरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) और ग्राम न्यायालय के अधीन स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

(ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा राज्य में, गंजाम और कंधमाल जिलों सहित 16 जिलों में 16 वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) केंद्र बनाए गए हैं और कार्यरत हैं। शेष 14 जिलों, जिनमें बौध और नयागढ़ जिले भी शामिल हैं, में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में मध्यस्थता केंद्र कार्यरत हैं।

सड़क यातायात उल्लंघनों के चालान के ऑनलाइन न्यायनिर्णयन के लिए, देश भर में 31 आभासी न्यायालय (अतुल्यकालिक न्यायालय) स्थापित किए गए हैं, जिनमें ओडिशा का एक शामिल है।

ओडिशा में ई-न्याय परियोजना, टेली-लॉ, विधिक सहायता क्लीनिकों और ग्राम न्यायालयों के अधीन न्यायालयों की जिला-वार स्थिति, जिसमें कंधमाल, बौध, नयागढ़ और गंजाम जिलों को शामिल किया गया है, **उपाबंध-3** में दिए गए हैं ।

(घ) : अनुमोदित परिव्यय और निधियों की उपलब्धता के आधार पर देश भर में, ओडिशा के सभी आदिवासी और आकांक्षी जिलों सहित, अतिरिक्त न्यायिक बुनियादी ढांचे, आभासी न्यायालयों, अंकीय साक्षरता कार्यक्रमों और विधिक सहायता सुविधाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना (सीएसएस) के अधीन अदालतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से टेली-लॉ सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनका उद्देश्य विवाद से पूर्व विधिक सलाह प्रदान करना है। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ई- प्रस्तुतिकरण, ई-भुगतान, आभाषी अदालतें, दृश्य दूरसंलाप और राष्ट्रीय न्यायिक आँकड़ा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) जैसी अंकीय सेवाओं को लागू किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालतों और मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपाबंध- 1

ओडिशा में डिजिटल न्याय और विधिक सेवाओं का विस्तार से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1131, जिसका उत्तर तारीख 24.07.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(i) ई-न्यायालय परियोजना के तृतीय चरण के अधीन सभी उच्च न्यायालयों को जारी की गई निधि:

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट		वास्तविक व्यय
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	
2023-24	0.01	825.00	768.25
2024-25	1500.00	1200.00	1029.11
2025-26	1500.00	1200.00	717.45
कुल	**3000.01**	**3225.00**	**2514.81**

(ii) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को जारी की गई निधियाँ:

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट		वास्तविक व्यय
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	
2023-24	200.00	200.00	200.00
2024-25	200.00	200.00	200.00
2025-26	200.00	220.00	220.00
कुल	**600.00**	**620.00**	**620.00**

(iii) ग्राम न्यायालयों हेतु जारी की गई निधियाँ:

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट		वास्तविक व्यय
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	
2023-24	10.00	10.00	0.80
2024-25	2.00	10.00	10.00
2025-26	2.00	2.00	2.00
कुल	**14.00**	**22.00**	**12.80**

(iv) डीआईएसएचए 2.0 (टेली-लॉ कार्यक्रम) के अधीन जारी की गई निधियाँ :

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित बजट**		**वास्तविक व्यय**
	बजट प्राक्कलन	**संशोधित प्राक्कलन**	
2023-24	40.00	48.00	46.36
2024-25	48.00	35.00	23.10
2025-26	48.00	20.00	17.04
कुल	**136.00**	**103.00**	**86.5**

उपाबंध- 2

ओडिशा में डिजिटल न्याय और विधिक सेवाओं का विस्तार से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1131, जिसका उत्तर तारीख 24.07.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(ई) ई-न्यायालय परियोजना का तृतीय चण :

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय	कुल जारी किए गए	कुल व्यय
1	इलाहाबाद	336.58	263.55
2	आंध्र प्रदेश	133.58	74.98
3	बंबई	339.56	240.83
4	कलकत्ता	87.14	53.02
5	छत्तीसगढ	105.41	89.67
6	दिल्ली	126.14	75.33
7 (i)	गौहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	19.72	14.02
7 (ii)	गौहाटी (असम)	66.09	63.78
7 (iii)	गौहाटी (मिजोरम)	17.18	11.45
7 (iv)	गौहाटी (नगालैंड)	13.38	8.74
8	गुजरात	161.59	139.01
9	हिमाचल प्रदेश	22.97	19.81
10	जम्मू-कश्मीर	63.21	34.38
11	झारखंड	63.15	44.73
12	कर्नाटक	190.54	134.35
13	केरल	137.07	61.8
14	मध्य प्रदेश	193.05	146.43
15	मद्रास	315.48	251.29
16	मणिपुर	23.11	21
17	मेघालय	19.12	15.53
18	उड़ीसा	91.45	74.56
19	पटना	246.34	124.45
20	पंजाब और हरियाणा	62.01	60.58
21	राजस्थान	174.79	101.08
22	सिक्किम	17.82	15.52
23	तेलंगाना	89.73	63.77
24	त्रिपुरा	25.49	10.22
25	उत्तराखंड	69.23	63.4
कुल		**3210.94**	**2277.27**

(20.07.2026 को यथाविद्यमान)

टिप्पण : इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को जारी निधियों के अलावा, ₹186.08 करोड़ एन.आई.सी./एन.आई.सी.एस.आई. को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु, ₹54.79 करोड़ बी.एस.एन.एल. को डबल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्क) कनेक्टिविटी हेतु, ₹12.49 करोड़ ई-समिति, उच्चतम न्यायालय को परिवर्तन प्रबंधन के अधीन, ₹0.28 करोड़ आई.आई.टी. मद्रास को ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के विकास हेतु, ₹7.66 करोड़ सी.पी.डब्ल्यू.डी. को एन.आई.सी. पुणे में ई-न्यायालयों हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए, ₹9.10 करोड़ सी-डैक को न्यायपालिका के लिए न्यायिक अंकीय संरक्षण प्रणाली (जेडीपीएस) के डिज़ाइन एवं विकास हेतु तथा ₹2.25 करोड़ विविध व्यय (वेतन, कार्यालय व्यय, प्रचार आदि) के लिए जारी किए गए हैं।

(ii) ग्राम न्यायालय :

(करोड़ रुपये)

राज्यों को ग्राम न्यायालय स्कीम के अधीन जारी की गई राशि		
क्रम संख्या	**राज्य**	**2009-10 से 15.07.2026 तक जारी कुल राशि**
1	मध्य प्रदेश	24.56
2	राजस्थान	12.40
3	कर्नाटक	0.25
4	ओडिशा	5.24
5	महाराष्ट्र	7.17
6	झारखंड	0.75
7	गोवा	0.25
8	पंजाब	0.25
9	हरियाणा	0.25
10	उत्तर प्रदेश	24.66
11	केरल	8.28
12	आंध्र प्रदेश	4.36
13	तेलंगाना	6.93
कुल		**95.40**

(iii) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) :

वितीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित धनराशि, जिसमें उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति शामिल हैं

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	**राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**	**2025-26**	
		एलएपी (गरीबों को विधिक सहायता)	**एलएडीसीएस (विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउन्सेल प्रणाली)**
1	आंध्र प्रदेश	3.35	5.13
2	अरुणाचल प्रदेश	8.3	2.13
3	असम	4.1	23.46
4	बिहार	7.75	10.57
5	छत्तीसगढ	0.8	10
6	गोवा	0.81	1.37
7	गुजरात	19.05	15.08
8	हरियाणा	7.15	6.79
9	हिमाचल प्रदेश	2.75	3.61
10	जम्मू एवं कश्मीर	7.4	8.15
11	झारखंड	13.25	9.75
12	कर्नाटक	9.3	16.38
13	केरल	13.2	6.99
14	मध्य प्रदेश	1	15.45
15	महाराष्ट्र	3.5	20.09
16	मणिपुर	6.7	2.09
17	मेघालय	4.07	5.68
18	मिजोरम	7.9	3.61
19	नगालैंड	3.8	1.98
20	ओडिशा	4.4	5.75
21	पंजाब	10.25	11.04
22	राजस्थान	8.75	13.27
23	सिक्किम	1.25	1.15
24	तमिलनाडु	1.3	19.1
25	तेलंगाना	0.6	11.8
26	त्रिपुरा	4.5	5
27	उत्तर प्रदेश	10.35	16.5
28	उत्तराखंड	10.4	3.23
29	पश्चिमी बंगाल	13.13	4.36
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.27	0.05
31	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	0.21	0.6
32	दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र	0	0.07
33	दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र	0	0.1
34	दिल्ली	15.25	6.5
35	लक्षद्वीप	0.2	0
36	पुदुचेरी	0.8	0.41
37	लद्दाख	0.83	0.22
38	उच्चतम न्यायालय	3.5	0
39	माध्यस्थम और सुलह परियोजना समिति (एम.सी.पी.सी.)	0.6	0
	कुल	**210.77**	**267.44**

उपाबंध- 3

ओडिशा में डिजिटल न्याय और विधिक सेवाओं का विस्तार से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1131, जिसका उत्तर तारीख 24.07.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(i) ई-न्यायालय परियोजना का तृतीय चरण :

क्रम संख्या	संपूर्ण ओडिशा राज्य के जिलों के नाम	अदालत कक्षों की कुल संख्या	ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आभाषी सुविधाओं वाले न्यायालयों की संख्या	बाद में बनाए गए नए न्यायालय कक्ष
1	अनुगुल	30	30	-
2	बालेश्वर	47	42	5
3	बरगढ़	25	25	-
4	भद्रक	24	23	1
5	बलांगीर	36	34	2
6	बौध	15	14	1
7	कटक	64	63	1
8	देवगढ़	12	12	-
9	ढेंकानाल	25	25	-
10	गजपति	15	15	-
11	गंजाम	62	61	1
12	जगतसिंहपुर	21	21	-
13	जाजपुर	25	23	2
14	झारसुगुडा	16	15	1
15	कालाहांडी	29	29	-
16	कंधमाल	22	22	-
17	केन्द्रपाड़ा	22	21	1
18	केंदुझर	29	28	1
19	खोरधा	52	52	-
20	कोरापुट	28	28	-
21	मल्कानगिरी	13	13	-
22	मयूरभंज	34	33	1
23	नबरंगपुर	18	17	1
24	नयागढ़	27	26	1
25	नुआपड़ा	15	14	1
26	पुरी	34	31	3
27	रायगढ़	22	22	-
28	संबलपुर	31	31	-
29	सोनपुर	17	15	2
30	सुंदरगढ़	35	32	3
कुल		**845**	**817**	**28**

(स्रोत: ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय)

(ii) टेली-लॉ (ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण):

तारीख 30.06.2026 तक, टेली-लॉ के अधीन हिताधिकारियों को 1.13 करोड़ से अधिक विवाद पूर्व परामर्श प्रदान किया गया है।

ओडिशा राज्य में, जिसमें बौध, गंजाम, कंधमाल तथा नयागढ़ ज़िले सम्मिलित हैं, टेली-लॉ कार्यक्रम की स्थिति तारीख 30.06.2026 को निम्नवत् है:

कवरेज क्षेत्र	**सीएससी आच्छादितों की संख्या**	**रजिस्ट्रीकृत मांगे**	**प्रदान की गई सलाह**
संपूर्ण ओडिशा	**6,797**	**4,15,564**	**4,10,303**
बौध जिला	69	5,106	5,023
गंजाम जिला	503	4,200	3,727
कंधमाल जिला	171	12,485	12,360
नयागढ़ जिला	194	6,830	6,680

(iii)विधिक सहायता क्लीनिक :

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 2011 के अनुसार, विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापना की गई है और वे जेलों, ग्रामों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी), विधि महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों, एकीकृत केंद्रों (वन स्टॉप सेंटर्स) आदि में कार्य कर रहे हैं।

जिले का नाम	**कार्यरत सहायता क्लीनिकों की संख्या**
अनुगूल	13
बलांगीर	12
बालेश्वर	9
बरगढ़	18
भद्रक	8
बौध	5
कटक	18
देवगढ़	9
ढेंकानाल	12
गजपति	12
गंजाम	16
जगतसिंहपुर	8
जाजपुर	8
झारसुगुड़ा	6
कालाहांडी	19
केंद्रापड़ा	8
केंदुझर	11
खोरधा	13
कोरापुट	13
मल्कानगिरी	7
मयूरभंज	13
नबरंगपुर	11
नयागढ़	14
नुआपड़ा	9
फुलबानी	8
पुरी	8
रायगढ़	14
संबलपुर	11
सोनपुर	5
सुंदरगढ़	14
कुल	**332**

(स्रोत: ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय)

(iv) ग्राम न्यायालय :

ओडिशा राज्य में 17 फरवरी 2026 तक कुल 24 ग्राम न्यायालय कार्यशील बनाए गए हैं। ओडिशा में कार्यशील ग्राम न्यायालयों का जिला-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	ग्राम न्यायालय का नाम	जिला
1	ओडागांव	नयागढ़
2	भोगराई	बालेश्वर
3	डुंगुरीपाली	सुबर्नपुर
4	काशीनगर	गजपति
5	रघुनाथपुर	जगतसिंहपुर
6	सुकिन्दा	जाजपुर
7	धामनगर	भद्रक
8	सनाखेमुंडी	गंजाम
9	जूनागढ़	कालाहांडी
10	घासीपुरा	केंदुझर
11	सिमिलिगुढा	कोरापुट
12	कोलनारा	रायगड़ा
13	लखनपुर	झारसुगुड़ा
14	अताबिरा	बरगढ़
15	तंगी	खोरधा
16	कोमना	नुआपड़ा
17	रायगढ़	नबरंगपुर
18	ब्रह्मागिरि	पुरी
19	कोरुकोदा - मल्कानगिरी	मल्कानगिरी
20	पुरी सदर	पुरी
21	राजनगर	केंद्रापड़ा
22	बलांगीर	बलांगीर
23	बिसरा	सुंदरगढ़
24	चारीछक	बौंध
